

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल० डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16 लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 17 अगस्त, 2023 श्रावण 26, 1945 शक सम्वत्

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश (संसदीय अनुभाग)

संख्या 1332 / वि०स० / संसदीय / 90(सं)-2023 लखनऊ, 8 अगस्त, 2023

> अधिसूचना प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2023, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 8 अगस्त, 2023 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2023 उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2023 संक्षिप्त नाम कहा जायेगा। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019 की अनुसूची 2 का संशोधन 2—उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (जिसे आगे ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की अनुसूची 2 में, क्रम-संख्या 35 के पश्चात् उक्त अनुसूची के स्तम्भों को निम्नानुसार संशोधित किया जायेगा और क्रम-संख्या 35 के पश्चात् नव स्थापित विश्वविद्यालयों के लिये निम्नलिखित क्रम-संख्या एवं उससे संबंधित प्रविष्टियां स्तम्भवार बढा दी जायेंगी, अर्थात :—

क्रम-	विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजक निकाय का नाम
संख्या		
36	टी० एस० मिश्रा विश्वविद्यालय,	वैदिक एण्ड फ्यूचरिस्टिक एजूटेक,
	लखनऊ, उत्तर प्रदेश	लखनऊ, उत्तर प्रदेश

किनाइयां दूर करने की शक्ति

3—(1) राज्य सरकार, टीo एसo मिश्रा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश की स्थापना के सम्बन्ध में किसी किटनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ, गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि मूल अधिनियम के उपबन्ध, ऐसी अविध, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, के दौरान ऐसे अनुकूलनों के अध्यधीन उपान्तरण, परिवर्द्धन या लोप, जैसा कि वह आवश्यक या समीचीन समझे, के माध्यम से प्रभावी होंगे :

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा ;

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसे किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

उद्देश्य और कारण

उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य में नये निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और विद्यमान निजी विश्वविद्यालयों के निगमन तथा उनके कृत्यों को विनियमित करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने हेतु उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019) अधिनियमित किया गया है।

लखनऊ में एक नये निजी विश्वविद्यालय अर्थात टी० एस० मिश्रा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश की स्थापना का उपबंध करने के उद्देश्य से पूर्वोक्त अधिनियम की अनुसूची 2 में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2023 पुरः स्थापित किया जाता है।

योगेन्द्र उपाध्याय, मंत्री, उच्च शिक्षा।

आज्ञा से, प्रदीप कुमार दुबे, प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

No. 1040/XC-1014(003)-13-2023 Dated Lucknow, August 17, 2023

NOTIFICATION MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the "Uttar Pradesh NIJI VISHVAVIDYALAYA (TRITEEYA SANSHODHAN) VIDHEYAK, 2023" introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on August 8, 2023.

THE UTTAR PRADESH PRIVATE UNIVERSITIES (THIRD AMENDMENT) BILL, 2023

A BILL

to amend the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Private Universities (Third Amendment) Act , 2023.

Short title

2. In Schedule-2 of the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (hereinafter referred to as the "Principal Act") *after* serial no. 35, the Columns of the said Schedule shall be amended as below and *after* serial no. 35 for the newly established Universities, the following serial number and entries relating thereto shall column wise be *inserted*, namely:—

Amendment of Schedule 2 of U.P. Act no. 12 of 2019

Sl. No.	Name of the University	Name of the Sponsoring Body
36	T.S. Mishra University, Lucknow,	Vedic and Futuristic Edutech, Lucknow,
	Uttar Pradesh	Uttar Pradesh

3. (1) The State Government may, for the purposes of removing any difficulty in relation to the establishment of T.S. Mishra University, Lucknow, Uttar Pradesh, by order published in the *Gazette* direct that the provisions of the principal Act shall during such period, as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as it may deem necessary or expedient:

Power to remove difficulties

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both Houses of State Legislature, as soon as may be, after it is made.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (U.P. Act no. 12 of 2019) has been enacted to provide for the establishment of new Private Universities and incorporation of existing Private Universities in the State of Uttar Pradesh for imparting higher education and to regulate their functions and for matters connected therewith or incidental thereto.

In order to provide for the establishment of a new Private University at Lucknow namely T.S. Mishra University, Lucknow, Uttar Pradesh, it has been decided to amend Schedule-2 of the aforesaid Act.

The Uttar Pradesh Private Universities (Third Amendment) Bill, 2023 is introduced accordingly.

YOGENDRA UPADHYAY Mantri, Uchcha Shiksha.

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.